विशेष वाद स०- 01/2022

सी०बी ०आई बनाम विपिन कुमार आदि

08-04-2025

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभियुक्तगण विपिन कुमार, नवीन कुमार शर्मा एवं जितेन्द्र आर्य का हाजिरी माफी प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत हुआ, जो आज के लिए स्वीकृत।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पूर्व में इस न्यायालय के द्वारा आरोप-पत्र 3क/1 लगायत 3क/23 के आधार पर आदेश दिनांकित 09-02-2022 के द्वारा अभियुक्तगण विपिन कुमार, नवीन कुमार शर्मा एवं जितेन्द्र आर्य के विरूद्ध विचारण हेतु प्रसंज्ञान लिया था।

आज यह पत्रावली अग्रिम विवेचना के उपरान्त सी०बी०आई० के द्वारा प्रेषित पूरक आरोप-पत्र कागज सं०-3क/24 लायत 3क/121 के आधार अभियुक्तण विपिन कुमार, नवीन कुमार शर्मा शौबीर सिंह,जितेन्द्र आर्य, ज्ञान प्रकाश चौहान, अमित कुमार अग्रवाल, अभिषेक कुमार, भूपेन्द्र सिंह,मौ० वसीम एवं राजवीर सिंह के विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण का प्रसंज्ञान लिये जाने हेतु पेश हुई।

अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजक व विवेचक न्यायालय में उपस्थित हुए। इस स्तर पर अभियुक्तगण की ओर से बहस के लिए कोई उपस्थित नही हुआ।

अग्रिम विवेचना के उपरान्त सी०बी०आई० के द्वारा पूरक आरोप-पत्र 3क/24 लगायत 3क/121 के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा-420,409,467,468,471 भा०द०सं० व धारा-13(2) सपठित धारा-13 (1)(d) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा धारा- 120B सपठित धारा- 420,409,467,468,471 भा०द०सं० में प्रसंज्ञान लेकर, विचारण किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

संक्षेप में प्रस्तुत प्रकरण के कथानक के अनुसार प्रथमा बैंक शाखा मण्डी समिति हसनपुर, अमरोहा के तत्कालीन शाखा प्रबन्धक अभियुक्त (A-1) विपिन कुमार, सहायक प्रबन्धक अभियुक्त (A-2) नवीन कुमार शर्मा व कार्यालय सहायक अभियुक्त (A-3)शौबीर सिंह ने लोक सेवक होते हुए, उक्त शाखा में संचालित विभिन्न PKCC/TDR/SOD खाताधारकों के खातों से सरकारी धन का अन्तरण कर स्वयं को सदोष लाभ पहुंचाया गया और राजकोष को सदोष हानि पहुंचाई गयी। उक्त आपराधिक संव्यवहार के दौरान शाखा प्रबन्धक विपिन कुमार, सहायक प्रबन्धक नवीन कुमार शर्मा के बैंक की अपनी आई०डी० व पासवर्ड का प्रयोग किये जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। आरोप-पत्र के पैरा सं०-16.9 के अनुसार विपिन कुमार व नवीन कुमार शर्मा ने षड़यन्त्र कर एक प्राईवेट व्यक्ति अभियुक्त जितेन्द्र आर्य (A-4) व

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/UPGZ010028932022/truecopy/order-12.pdf

उनकी फर्म मै० आर्यन ब्रदर्स व अभियुक्त जितेन्द्र आर्य के अपने मां व भाई के साथ संचालित खातों में छल द्वारा कूटरचना करते हुए, वैध खाताधारकों के खाते से धन आहरित करते हुए, अन्तरित किया गया। अभियुक्त (A–4) जितेन्द्र आर्य से सम्बन्धित जिन खातों में धनराशि का अन्तरण किया गया, उनका विवरण पैरा–16.9 से 16.15 में दिया गया है। अभियुक्तगण (A–1) विपिन कुमार व (A–2) नवीन कुमार शर्मा ने षड़यन्त्र करते हुए, अभियुक्त (A–5) ज्ञान प्रकाश चौहान व उनकी फर्म मै० रायल ट्रेडिंग कम्पनी में भी षड़यन्त्र पूर्वक छल द्वारा कपट करते हुए, वैध खाताधारकों के खाते से धन का आहरण किया,जिसका विवरण आरोप–पत्र के पैरा–16.16 से 16.24 में दिया गया है। अभियुक्त (A–1) विपिन कुमार व (A–2) नवीन कुमार शर्मा ने षड़यन्त पूर्वक छल द्वारा कपट करते हुए, अभियुक्त (A–6) अमित कुमार अग्रवाल के खातों में भी बैंक के वैध खाताधारकों का धन अन्तरण किये जाने का साक्ष्य संकलित हुआ जिसका विवरण पैरा–16.25 से 16.31 में दिया गया है। इसी प्रकार अभियुक्त (A–1) विपिन कुमार एवं अभियुक्त (A–2) नवीन कुमार शर्मा के द्वारा षड़यन्त्र करके कपट करते हुए, अभियुक्त (A–7) अभिषेक कुमार व उनकी फर्म मै० अभिषेक क्लाथ हाउस व भागीदारी फर्म मै० किसान कोल्ड स्टोरेज एण्ड आईस फैक्ट्री के खाते में भी वैध खाता धारकों का धन आहरण किये जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ, जिसका विवरण आरोप–पत्र के पैरा पैरा–16.32 से 16.34 में दिया गया है। इसी प्रकार अभियुक्त (A–1) विपिन कुमार एवं अभियुक्त (A–2) नवीन कुमार शर्मा के द्वारा षड़यन्त्र करके कपट करते हुए, अभियुक्त (A–9) मौ० वसीम उर्फ शहजादा के खाते में भी वैध खाता धारकों का धन आहरण कर अन्तरित किये जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ, जिसका विवरण आरोप–पत्र के पैरा–16.35 से 16.36 में दिया गया है। इसी प्रकार अभियुक्त (A–1) विपिन कुमार एवं अभियुक्त (A–2) नवीन कुमार शर्मा के द्वारा षड़यन्त्र करके कपट करते हुए, अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह व उनकी फर्म मै० भूपेन्द्र पटेल के खाते में भी वैध खाता धारकों का धन आहरण कर अन्तरित किये जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ, जिसका विवरण आरोप–पत्र के पैरा पैरा–16.40 से 16.48 में दिया गया है। साथ ही साथ विवेचना के दौरान यह भी साक्ष्य संकलित हुआ है कि अभियुक्त (A–1) विपिन कुमार एवं अभियुक्त (A–2) नवीन कुमार शर्मा के द्वारा षड़यन्त्र करके कपट करते हुए, अभियुक्त (A–1) विपिन कुमार के पिता अभियुक्त (A–10) राजवीर सिंह के खाते में कपट पूर्वक तरीके से बैंक के वैध धारकों के खाते से धन आहरित करके अन्तरित किया गया जिसका विवरण आरोप–पत्र के पैरा–16.51 से 16.56 में दिया गया है। साथ ही विवेचना के दौरान यह भी साक्ष्य संकलित हुआ है कि अभियुक्त (A–1) विपिन कुमार ने बैक के एक अन्य कर्मचारी कार्यालय सहायक अभियुक्त (A–3) शौवीर सिंह के साथ कपट पूर्वक तरीके से षड़यन्त्र करते हुए, शौबीर सिंह के खातें में भी बैक के वैध खाताधारकों का धन आहरित कर, अन्तरित किया गया, जिसका विवरण विवेचना के पैरा–16.57 से 16.59 में दिया गया है।

विवेचना के दौरान यह साक्ष्य भी संकलित किया गया है कि प्रथमा बैंक में लोक सेवक के रूप में कार्यरत शाखा प्रबन्धक अभियुक्त (A–1) विपिन कुमार व सहायक प्रबन्धक

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/UPGZ010028932022/truecopy/order-12.pdf

अभियुक्त (A–1) नवीन कुमार शर्मा व कार्यालय सहायक अभियुक्त (A–3) शौवीर सिंह ने बैंक में अपने पद का दुरूपयोग करते हुए, बैंक की न्यस्त धनराशि को छल पूर्वक तथा छल के द्वारा कूट रचित विड्राल वाउचर व स्लिप बनाकर बैंक के वैध खाताधारकों का धन आहरित कर, स्वयं को तथा अन्य अभियुक्तगण (A–4 ता 10) को सदोष लाभ पहुंचाया और इसके फलस्वरूप बैंक के वैध खाताधारकों व राजकोष को सदोष हानि पहुंचाई।

लोक सेवक अभियुक्तगण (A–1 ता 3) के विरूद्ध अभियोग चलाये जाने के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी से अभियोजन स्वीकृति क्रमशः कागज सं०–2141क/1 लगायत 2141क/3, 2142क/1 लगायत 2142क/3 व 2143क/1 लगायत 2143क/3 के माध्यम से पत्रावली पर प्रस्तुत की गयी।

अतः विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का अवलोकन करने के उपरान्त अभियुक्तण (A–1) विपिन कुमार, (A–2) नवीन कुमार शर्मा, (A–3) शौबीर सिंह, के विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण अन्तर्गत धारा– 420,409,467,468,471 भा०द०सं० व धारा–13(2) सपठित धारा–13 (1)(d) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा धारा– 120B सपठित धारा– 420,409,467,468,471 भा०द०सं० में प्रसंज्ञान लिये जाने का साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है। तद्नुसार उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा– 420,406,467,468,471 भा०द०सं० व धारा–13(2) सपठित धारा–13 (1)(d) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा धारा– 120B सपठित धारा– 420,409,467,468,471 भा०द०सं० के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिया गया । अभियुक्तगण (A–4) जितेन्द्र आर्य, (A–5) ज्ञान प्रकाश चौहान, (A–6) अमित कुमार अग्रवाल, (A–7) अभिषेक कुमार, (A–8) भूपेन्द्र सिंह, (A–9) मौ० वसीम एवं (A–10) राजवीर सिंह के विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण अन्तर्गत धारा– 420,467,468,471 भा०द०सं० तथा धारा– 120B सपठित धारा– 420,409,467,468,471 भा०द०सं० में प्रसंज्ञान लिये जाने का साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है। तद्नुसार प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण का विचारण किये जाने हेतु धारा– 420,,467,468,471 भा०द०सं० तथा धारा– 120B सपठित धारा– 420,409,467,468,471 भा०द०सं० के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिया जाता है।

कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि अनुपस्थित अभियुक्तगण को पत्रावली पर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु समन जारी हो। पत्रावली **दिनांक 15–04–2025** को वास्ते हाजिरी अभियुक्तगण/नकल अन्तर्गत धारा–207 द०प्र०सं०/ आरोप पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (सी०बी०आई०)
कोर्ट सं०–2, गाजियाबाद।

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/UPGZ010028932022/truecopy/order-12.pdf